

#### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/ आषाढ़ 17, 1937

No. 440]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASHADHA 17, 1937

# ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 547(अ).—कितपय प्रारूप नियमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड (ख), (इ.), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ठ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), और (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के निम्निलिखित प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 112 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना देती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख को उक्त राजपत्र से युक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध थी;

- (2) उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा जो उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए जाएं;
- (3) आपत्तियां या सुझाव, संयुक्त सचिव (भूमि सुधार), भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, "जी" विंग, एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाएं, यदि कोई हो ।

## अध्याय 1

## साधारण

- 1. संक्<mark>षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.-</mark> (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार **(प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना)** नियम, 2015 है।
- (2) ये उन मामलों में लागू होंगे जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) के अनुसार केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है।

3017 GI/2015

- (3) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषा .- इन नियमों में जब तक कि अंतर्वस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) **"प्रशासक"** से अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
  - (ख) **"प्राधिकरण"** से अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
  - (ग) **"आयुक्त"** से अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अभिप्रेत है;
  - (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का राजस्व विभाग अभिप्रेत है;
  - (ङ) **"जिला कलक्टर"** से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसमें अपर कलक्टर और अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड.) के उपबंध के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई भी अन्य अधिकार भी सम्मिलित है :
  - (च) **"विशेषज्ञ"** से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में यथा उपबंधित व्यक्ति अभिप्रेत है;
  - (छ) "मूमि बैंक" से अधिनियम की धारा 101 में यथा परिभाषित भूमि बैंक अभिप्रेत है;
  - (ज) "रिजस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 55 में यथा उपबंधित रिजस्ट्रार अभिप्रेत है;
  - (झ) **"सामाजिक लेखा परीक्षा"** से अधिनियम की धारा 44 और 45 में यथा उपबंधित सामाजिक लेखा परीक्षा अभिप्रेत है।

#### अध्याय 2

# भूमि अर्जन के लिए अनुरोध

- **3. भूमि अर्जन के लिए अनुरोध .-** (1) कोई भी अर्जक निकाय या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसके लिए भूमि अर्जित की जानी है, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **प्ररूप- 1** में संबंधित जिला कलक्टर को और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त को अनुरोध फाइल करेगा:
  - (i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;
  - (ii) परियोजना का मंजूरी पत्र;
  - (iii) अधिकार के अभिलेख की तीन प्रतियां और प्रभावित क्षेत्रों का राजस्व मानचित्र;
  - (iv) भूमि के वर्गीकरण की सूचना अर्थात् भूमि, सिंचित बहु-फसली या एकल फसली या बंजर भूमि आदि है;
  - (v) जिला कलक्टर द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।
- (2) सरकार के लिए अर्जन के मामले में अनुरोध, विभाग के संबंधित सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाएगा।
- (3) यदि अनुरोध सरकार को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है तो कलक्टर द्वारा गठित अधिकारियों का दल अधिनियम की धारा 4 से धारा 10 तक किए जाने वाले व्यय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 4. अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलक्टर द्वारा कार्रवाई .- (1),(क) अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन विभाग आदि के अधिकारियों की एक समिति गठित करेगा जो बंजर या शुष्क भूमि की उपलब्धता; प्रस्तुत विवरण की सत्यता और परियोजना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि अर्जित करने के संबंध में इस आशय की यह प्रारंभिक जांच करने के लिए अर्जक निकाय के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र का दौरा करेगी कि क्या अनुरोध अधिनियम के उपबंधों के असंगत है।

- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अधिकारियों की समिति अन्य मामलों के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित करेगी, अर्थात्:-
  - इस आशय का मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा;
  - (ii) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक कोरा न्यूनतम क्षेत्र पूर्ण है;
  - (iii) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है;
  - (iv) ऐसी कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई हो;
  - (v) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त पड़ी भूमि, यदि कोई हो, ऐसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है, और इनके संबंध में सिफारिशे करेगी।
- (2) (क) यदि जिला कलक्टर, उप-नियम (1) में उल्लिखित समिति की रिपोर्ट, उसके पास उपलब्ध अन्य जानकारी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि अनुरोध अधिनियम के उपंबंधों के अनुरूप है, वह अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) में यथा परिभाषित अर्जन की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करेगा।
- (ख) अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) के उप खंड (iv) की मद 'क' के अधीन प्रशासनिक लागत, अधिनियम की धारा 3(1) की मद (1) में यथा उपबंधित मुआवजे की लागत के 10 प्रतिशत की दर से होगी परन्तु यह रकम अधिकतम 5 करोड़ रूपये के अधीन होगी।
- (ग) जिला कलक्टर, अर्जक निकाय को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने कार्यालय में अर्जन की प्राक्किलत लागत जमा करने की सूचना देगा और अर्जक निकाय, जिला कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे जमा करेगा, जिसके बिना अधिनियम के अधीन प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाएगी।
- (3) अर्जक निकाय, कलक्टर द्वारा तैयार अंतिम प्राक्कलन के बाद अर्जन की शेष लागत जमा करेगा और यदि प्राधिकरण या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी अतिरिक्त रकम का पंचाट दिया जाता है तो उसे यथा अपेक्षित तत्काल जमा किया जाएगा।

#### अध्याय 3

# प्रारंभिक अधिसूचना और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

- 5. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन .- सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन पूरा होने और प्रभावित व्यक्तियों या ग्राम सभा, जैसा भी मामला हो, की सहमति प्राप्त करने के बाद, जब समुचि सरकार को यह प्रतीत हो कि भूमि की किसी भी लोक प्रयोजन के लिए किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है, तो प्ररूप -2 में प्रारंभिक सूचना जारी की जाएगी।
- (2) प्रारंभिक अधिसूचना, अधिनियम की धारा 11 में दिए गए रीति में प्रकाशित की जाएगी।
- (3) प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति प्रभावित क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थानों पर चस्पा की जाएगी और ढोल बजाकर आम जनता को इसकी सूचना भी दी जाएगी और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- (4) प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के पश्चात्, कलक्टर, निम्नानुसार यथा विनिर्दिष्ट दो माह की अवधि के भीतर भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के कार्य को पूरा करवाना सुनिश्चित करेगा:-
  - (क) मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों का लोप करना;
  - (ख) मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसों के नामों को प्रविष्टि करना;
  - (ग) भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्रीकृत संव्यवहारों जैसे विक्रय, दान, विभाजन आदि को प्रभावी बनाना;
  - (घ) बंधक की सभी प्रविष्टियों को भूमि अभिलेखों में प्रविष्टि करना;
  - (ङ) यदि उधार देने वाला अभिकरण, बंधक संपत्ति विलेख के रजिस्ट्रीकृत प्रतिहस्तांतरण के माध्यम से लिए गए ऋण के पूर्ण संदाय का पत्र जारी करती है तो बंधक की प्रविष्टियों का लोप करना;

- (च) सभी विद्यमान विधियों के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- (छ) सरकारी भूमि के मामले में आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- (ज) भूमि पर परिसंपत्तियों जैसे वृक्षों, कुंओं आदि के संबंध में प्रविष्टियां करना;
- (झ) भूमि पर सहदायिकों की प्रविष्टियां करना;
- (ञ) उगाई गई या बोई गई फसलों और ऐसी फसलों के क्षेत्र की प्रविष्टियां करना; और
- (ट) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अन्य कोई प्रविष्टि या अद्यतन करने का कार्य।
- **6. अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण**.- प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित सभी शक्तियां होंगी।
- 7. आपित्तयों का निपटान .- (1) कलक्टर प्ररूप 3 में एक नोटिस जारी करेगा और धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित सभी आपित्तयों पर सुनवाई करने और जांच करने के पश्चात् निर्णय के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व विभाग के सिचव को आपित्तयों पर अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और कलक्टर की रिपोर्ट में अन्य के साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा:-
  - (क) इस आशय का मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा;
  - (ख) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र परियोजना के लिए आवश्यक कोरा न्यूनतम क्षेत्र पूर्ण है;
  - (ग) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है;
  - (घ) ऐसी कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई हो;
  - (ङ) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त पड़ी भूमि, यदि कोई हो ऐसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है, और इनके संबंध में सिफारिशे करेगा।
- (2) अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन की गई आपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा।

# 8. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करना तथा जन सुनवाई .-

- (1) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ऐसी प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण का संचालन कराएगा और उनकी जनगणना का कार्य का उपक्रम करेगा।
- (2) प्रशासक द्वारा इस प्रकार प्रभावित कुटुम्बों के किए गए सर्वेक्षण और उनकी जनगणना में, अधिनियम के नियम 3 या धारा 10क के अधीन जहां कहीं लागू हो, वह सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर डाटा एकत्र करेगा और पंचायत तथा सरकारी अभिलेखों जैसे द्वितीयक स्नोतों से भी डाटा एकत्र करेगा और प्रभावित कुटुम्बों के द्वार पर जाकर और प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे की परियोजनाओं के मामले में स्थल दौरों द्वारा उस डाटा का सत्यापन करेगा।
- (3) प्रशासक द्वारा तैयार प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में धारा 16 की उप-धारा (2) में उल्लिखित विवरणों के अलावा, निम्नलिखित विहित होगा:-
  - (i) कुट्म्बों की सूची जिनके विस्थापित होने की संभावना है;
  - (ii) प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे की सूची;
  - (iii) प्रभावित क्षेत्र में भू-जोतों की सूची;
  - (iv) वृक्षों, भवनों, भूमि या भवन, जिनका अर्जन किया जाना है, से सम्बद्ध अन्य अचल संपत्ति या परिसंपत्तियों की सूची;

- (v) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या कारबार की सूची;
- (vi) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों की सूची;
- (vii) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, विकलांगों या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों जैसे उपेक्षित समूहों के व्यक्तियों की सूची;
- (viii) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूरों की सूची;
- (ix) प्रभावित क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की सूची।
- (4) प्रशासक, व्यापक और विस्तृत प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा और प्रभावित क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित व्यक्तियों को निम्नलिखित तरीके से प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया गया है, अर्थात्:-
  - (क) राजपत्र में।
  - (ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा ;
  - (ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट के तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में :
  - (घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ;
  - (ङ) प्रभावित क्षेत्रों में जो विहित की जाए
- (5) प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी तीन सप्ताह का अग्रिम सूचना देकर यथा विनिश्चित तारीख, समय और स्थान पर प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई आयोजित करेगा और जन सुनवाई से संबंधित तारीख 08.08.2014 के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात मूल्यांकन और सहमित) नियम, 2014 के नियम 8 के उपबंध, यथोवश्यक परिवर्तन सहित, इस मामले में भी जन सुनवाई पर लागू होंगे।
- 9. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन .- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अधिनियम की धारा 18 में उपबंधित अन्य साधनों द्वारा इसे लोक करने के अतिरिक्त सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाके प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाशित करेगा और आयुक्त, अधिनियम की धारा 48 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानीटरी समिति को अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रकाशन की सूचना भी देगा।
- **10. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों के लिए विकास योजना** .-- (1) अर्जक निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण, जिसमें अधिनियम की धारा 41 के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों की अस्वैच्छिक विस्थापन सम्मिलित हो, की परियोजना की बाबत तैयार की जाने वाली विकास योजना **प्ररूप 4** के अनुसार होगी।
- (2) पुनर्वासन क्षेत्रों, जिनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां रह रही हों, को कलक्टर द्वारा समय-समय पर लिए गए विनिश्चय के अनुसार समुदाय और सामाजिक मेल-जोल के लिए नि:शुल्क भूमि मिलेगी।

## अध्याय - IV

# घोषणा, पंचाट और प्रतिकर

11. अर्जन के लिए घोषणा का प्रकाशन .- (1) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कलक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा जांच करने और आपत्तियों पर विनिश्चय करने के बाद, राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव द्वारा प्ररूप - 5 में अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार के साथ भूमि के अर्जन की घोषणा की जाएगी।

परन्तु, ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अर्जक निकाय ने भूमि के अर्जन की लागत के रूप में संपूर्ण रकम जमा न कर दी हो।

- (2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा धारा 19 की उप-धारा (4) के अधीन विहित रीति में, यथास्थिति पंचायत, मंडल, स्थानीय निकाय के क्षेत्र, जिसके अधीन प्रभावी क्षेत्र आता है, में, सहज दृश्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में घोषणा की प्रति चिपकाके प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।
- 12. भूमि अर्जन अधिनिर्णय.—कलक्टर, धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित और दिए गए लोक सूचना के अनुसरण में, हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हो, की जांच करने और उनका निपटान करने के बाद प्ररूप 6 के अनुसार अधिनियम की धारा 23 के अधीन भूमि अर्जन पंचाट देगा।
- 13. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय .- (1) कलक्टर, अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, प्ररूप 7 में प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट भी देगा और प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को कुटुम्बवार पंचाट सौंपेगा।
- (2) राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबंधों का प्रयोग करके झूठे दावे या धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से लिए गए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के किसी भी लाभ की वूसली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में तब की जाएगी जब उसे लौटाने से मना कर दिया गया हो।
- (3) अधिनियम की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट बुनियादी ढ़ांचागत सुविधाओं और मूल न्यूनतम सुविधाओं की **प्ररूप 8** के अनुसार व्यवस्था।
- **14. प्रतिकर .-** (1) प्रतिकर की गणना, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ पठित धारा 26 से धारा 30 के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार की जाएगी और इसे संदत्त किया जाएगा।
- (2) अधिनियम की दूसरी अनुसूची की मद 8 के अधीन कारीगरों, छोटे व्यापारियों और अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान कम से कम 25 हजार रुपये होगा।
- (3) अधिनियम की दूसरी अनुसूची की मद संख्या 9 के अधीन सिंचाई या जल परियोजनाओं के मामलों में मत्स्य पालन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग या यथा अपेक्षित अन्य किसी भी सरकारी विभाग के परामर्श से उस तरीके को अधिसूचित किया जाएगा जिससे प्रभावित कुटुम्बों को मत्स्य पालन के अधिकार दिए जाएंगे।
- (4) प्रतिकर का संदाय आदाता खाता चेक या इलेक्ट्रॉनिक में अंतरण से शीघ्र किया जाएगा।
- (5) जब धारा 33 की उप धारा (1) के अधीन पंचाट में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त रकम अदा किया जाना सिद्ध किया जाता है और वह व्यक्ति उसे अदा की गई उपरोक्त अतिरिक्त रकम लौटाने से मना करता है तो राजस्व वसूली अधिनियम 1890 (1890 का 1) के उपबंधों का प्रयोग करके उस रकम को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और ऐसी कार्यवाही उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर आरंभ की जाएगी जिस तारीख को अतिरिक्त रकम का संदाय किया गया पाया गया हो।
- 15. अधिनियम की धारा 46 के साथ पठित धारा 2 की उप धारा (3) के अधीन भूमि के क्षेत्र पर सीमा .- भूमि के उस क्षेत्र पर सीमा, शहरी क्षेत्रों में 50 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 एकड़ होगी जिसके बाद निजी सौदे के माध्यम से विनिर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा खरीद के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध लागू हो जाते हैं।
- **16. भूमिहीन का अर्थ .-** ''भूमिहीन'' पद का वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन, द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
- **17. ग्रामीण क्षेत्रों में गुणनखंड .-** ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणक द्वारा अधिनियम की धारा 30 की उप धारा (2) के साथ पठित प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 2 के स्तंभ सं0 3 के अनुसार बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है वह गुणक 2.00 (दो) होगा।
- 18. अधिनियम की धारा 10क के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति .-

संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव या केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव को अधिनियम की धारा 10क के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति होगी।

- 19. किसी जिले में बोया गया निवल क्षेत्र जिसे अर्जित किया जा सकता है .- किसी जिले में सभी परियोजनाओं के लिए अर्जित कृषि भूमि का कुल क्षेत्र किसी भी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिश्चित क्षेत्र की सीमा से अधिक नहीं होगा।
- 20. किसी क्षेत्र में सिंचित बहु-फसलीय भूमि जिसे अर्जित किया जा सकता है .- किसी जिले में सभी परियोजनाओं के लिए अर्जित सिंचित बहु-फसलीय भूमि का कुल क्षेत्र किसी भी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिश्चित क्षेत्र की सीमा से अधिक नहीं होगा।

#### अध्याय V

## प्रशासक और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति और राष्ट्रीय मानीटरी समिति

- **21. प्रशासक की शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारी** .—प्रशासक निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा जिम्मेदारियां निभाएगा:-
  - (क) इन नियमों और अधिनिमय के अधीन यथा उपबंधित रीति से और समय के भीतर प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण करना और उनकी जनगणना का कार्य करना;
  - (ख) प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करना;
  - (ग) इन नियमों के अधीन उपबंधित पद्धति से प्रारूप स्कीम प्रकाशित करना;
  - (घ) प्रारूप स्कीम को संबंधित व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाना;
  - (ङ) प्रारूप स्कीम पर जन सुनवाई आयोजित करना और संचालित करना;
  - (च) अर्जक निकाय को प्रारूप स्कीम के संबंध में सुझाव देने और टिप्पणियां करने का अवसर देना;
  - (छ) प्रारूप स्कीम को कलक्टर को प्रस्तुत करना;
  - (ज) अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में प्रकाशित करना;
  - (झ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट तैयार करने में कलक्टर की सहायता करना;
  - (অ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट के कार्यान्वयन की मानीटरी और देख-रेख करना।
  - (ट) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन उपरांत लेखा परीक्षा में सहायता करना;
  - (ठ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कोई भी कार्य।
- 22. परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति .—राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग का प्रधान सचिव अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की प्रगति और कार्यान्वयन की मानीटरी और समीक्षा करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के परामर्श से और, यथास्थिति, शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र, में कार्यान्वयन के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए परियोजना स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में एक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति गठित करेगा।
- (2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में, समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त, नि**म्न**लिखित सदस्य होंगे, अर्थात :--
  - (क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि ;
  - (ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक प्रतिनिधि ;
  - (ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि ;
  - (घ) किसी राष्ट्रीयकॄत बैंक का एक प्रतिनिधि ;
  - (ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी ;

- (च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती ;
- (छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;
- (ज) संबंधित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशिती ;
- (झ) अर्जक निकाय का एक प्रतिनिधि ; और
- (অ) सदस्य-संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।
- (3) (क) सिमिति अपनी पहली बैठक तब करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर ली गई हो।
- (ख) समिति, स्कीम पर विचार-विमर्श करेगी और सुझाव के साथ सिफारिश देगी और तत्पश्चात समिति, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक मास में एक बार बैठक करेगी और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा और मानीटरी करेगी। कार्यान्वयन उपरांत सामाजिक लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन से समिति तीन मास में एक बार बैठक करेगी।
- (ग) समिति प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकती है और यदि वह चाहे तो प्रभावित कुटुम्बों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है और पुनर्वासन प्रक्रिया की मानीटरी करने के लिए पुनर्वासन क्षेत्र का दौरा भी कर सकती है।
- (4) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों, यदि कोई हो, को केन्द्रीय सरकार के वर्ग-I अधिकारियों को देय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा।

# 23. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना .-

- (1) समुचित सरकार, अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापित करेगी।
- (2) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो किसी जिला न्यायाधीश के लिए लागू हैं।
- (3) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के रजिस्ट्रार को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार के उप सचिव स्तर के अधिकारी के लिए लाग हैं।
- (4) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य अधिकारियों के लिए लागू हैं।
- 24. प्राधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया .—प्राधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन सूचीबद्ध मामलों के अतिरिक्त, राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित अन्य किसी भी मामले के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।
- 25. राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की प्रक्रिया और इससे जुड़े विशेषज्ञों के भत्ते .—धारा 48 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानीटरी समिति, अधिनियम की धारा 18 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा उक्त अनुमोदित स्कीमों के प्रकाशन के दो माह के भीतर परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरी करेगी और तत्पश्चात समिति की बैठकें पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरी करने के लिए तीन माह में एक बार आयोजित की जाएंगी।
- (2) राष्ट्रीय मानीटरी समिति से सम्बद्ध गैर-सरकारी विशेषज्ञों को मुख्यालय से बाहर यात्रा के लिए भारत सरकार के वर्ग-I स्तर के अधिकारियों को देय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा।

## अध्याय VI

## प्रकीर्ण

- **26. भूमि को मूल भू-स्वामी को लौटाना**.—(1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भी भूमि अर्जक निकाय द्वारा कब्जा लिए जाने की तारीख से किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट अवधि या पांच वर्षों, जो भी पश्चातवर्ती हो, तक अप्रयुक्त रहती है तो उसे उस अर्जक निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई थी, को नोटिस जारी करके और उसका पक्ष सुनने का अवसर देकर तथा इस प्रयोजनार्थ इस संबंध में जिला कलक्टर द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके, यथास्थित, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को या भूमि बैंक को लौटा दिया जाएगा।
- (2) उपरोक्तानुसार, लिखित आदेश पारित करने के पश्चात जिला कलक्टर अधिनियम की धारा 104 में यथा परिभाषित अर्जित भूमि को, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाने के प्रयोजन से उस भूमि का कब्जा लेगा।
- (3) यदि अर्जक निकाय उक्त भूमि के कब्जे को कलक्टर को नहीं सौंपता है तो कलक्टर, अर्जक निकाय को पूर्व नोटिस देकर कब्जा लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की सहायता लेने के लिए सक्षम होगा।

[फा. सं. 13011/01/2015-एलआरडी]

हुकुम सिंह, संयुक्त सचिव

#### प्ररूप - 1

(नियम 3 देखें)

# भूमि अर्जन के लिए अनुरोध

प्रेषक:
अर्जक निकाय का नाम और/या पदनाम
सेवा में,
1. जिला कलक्टर
जिला
2. आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
एकड़ भूमि अर्जित किए जाने का अनुरोध है जिसके लिए परियोजना/प्रयोजन और इसका ब्यौरा, अर्जित की जाने वाली भूमि को दर्शाते हुए संयुक्त नक्शे (मापने के लिए) की तीन प्रतियों के साथ उपाबंध (परिशिष्ट)
I, II, III प्रस्तुत हैं।
परियोजना के प्रभावी रूप से विकसित होने की अवधि वर्ष औरमहीने  होगी। (केवल तभी लागू जब विकास अवधि 5 वर्ष से अधिक हो)
सामाजिक समाघात मूल्यांकन की लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत उपलब्ध है और इसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन  में उचित प्रतिकर  और पारदर्शिता  अधिकार  अधिनियम,  2013 के उपबंधों में यथा प्रदत्त आपके द्वारा कभी भी मांगे जाने पर आपके कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि अर्जित की जाने वाली भृमि का

क्षेत्र में सीमांकन किया गया था और आगे की सभी आवश्यक सूचना और सहायता आपके द्वारा नियत/निर्धारित तारीख/समय

पर प्रदान करा दी जाएगी।

भवदीय.

अर्जक निकाय

उपाबंध - 1
परियोजना का नाम:-
(1) गांव का नाम
(2) मंडल का नाम
(3) नगर पालिका/नगर निगम का नाम
(4) जिले का नाम
(5) अर्जित की जाने वाली सर्वे संख्या
(6) अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र (हे./वर्ग मीटर में)
(7) अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाएं-
पूर्व-
पश्चिम-
उत्तर-
दक्षिण-
(8) कृषि और सिंचित बहु-फसली भूमि का क्षेत्र
(9) कृषि और सिंचित बहु-फसली भूमि को सम्मिलित करने के कारण
(10) भवनों और अन्य संरचनाओं, टैंको, कूपों, वृक्षों आदि का ब्यौरा;
(11) अर्जन के लिए धार्मिक भवनों श्मशान घाटों या मकबरा, आदि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करने के कारण।
अर्जक निकाय
उपाबंध - 2

## <u>परियोजना का नाम:-</u>

- 1. विभाग या सरकार या कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, संस्था:
- 2. अर्जक निकाय का शासकीय पदनाम:-
- 3. अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप से) :-
- 4. क्या सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) के अधीन अपने उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए अनुरोध किया गया है ?
- 5. क्या अधिनियम की धारा 2(1) (क) से धारा 2 (1) (च) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है ?
- क्या अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है ?
- 7. अधिनियम की धारा 3(ग) (i) से (vi) के अधीन उल्लिखित अनुसार कितने कुटुम्ब प्रभावित हैं।
- 8. क्या अधिनियम की धारा 40 के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है।

- 9. यदि हां, तो किस आधार पर ?
- 10. क्या परियोजना के लिए भूमि को निजी बातचीत द्वारा स्वामियों से अंशत: क्रय किया गया है ?
- 11. यदि हां, तो किस तारीख को और किन निबंधनों पर (कृपया बातचीत के निबंधनों का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा इसकी प्रतिलिपि संलग्न करें)।
- 12. सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत होने की तारीख (प्रति संलग्न करें)
- 13. यदि अनुरोध, परियोजना के प्रशासनिक अनुमोदन के छह सप्ताह के पश्चात फाइल किया गया है, तो अनुरोध फाइल करने में हुए विलम्ब के कारण।
- 14. भूमि पर कब्जा कब तक अपेक्षित है।

अर्जक निकाय

## उपाबंध - 3

## अर्जक प्राधिकरणों द्वारा भूमि के अर्जन के लिए अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

## परियोजना का नाम

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि वह परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जित किए जाने की मांग की गई है, उस पर अधिनियम के अधीन अर्जन के लिए तारीख ..... के विभागीय पत्र ........... के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है (पत्र की प्रति संलग्न है)।
- (2) परियोजना की अनुमानित लागत ...... रुपये है और आवश्यक बजट की मंजूरी दे दी गई है और अर्जन की लागत के लिए निधियां उपलब्ध हैं।
- (3) विभाग, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और जब कभी कलक्टर/जिला कलक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, डिक्री के मामले में संपूर्ण रकम का संदाय करने की वचनबद्धता प्रकट करता है।

अर्जक निकाय

#### प्ररूप 2

[नियम 4 और धारा-11(1) देखें]

# प्रारंभिक अधिसूचना

सं.	तारीख
भूमि अपेक्षित है, अर्थात सामाजिक समाघात मू के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलक्टर द्वारा गठित दल	एगाममंडलजिले में कुलएकड़ ल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 । द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया च का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति
भूमि अर्जन के कारण कुल (संख्या) कुटुम्बों आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है।	 के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की

	को	प्रभावित	कुटुम्बों	के पुनर्वासन	और पुनव्य	विस्थापन के	प्रयोजन	के लिए	प्रशासव	न के रूप मे	ां नियुक्त
किया जाता	है। अत:,	जिला .		मंडल		के ग्राम		में	उक्त प	गरियोजना	के लिए
	. हेक्टेयर	माप के ए	एक भूखंड	अर्थात	1	नानक माप <sup>दे</sup>	क भूखंड	जिसका	विवरण	निम्नानुस	ार है, का
अर्जन किया	जाता है:		•				•			_	-

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	हक का प्रकार		l _	- ا	सीमाएं
			प्रकार	क्षेत्र (एकड़ मे)	नाम और पता	उ. द. पू. प.

	वृक्ष		संरचनाएं
किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिथं एरिया

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन जिला कलक्टर के कार्यालय और ....... में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट ............... अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद......... को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

संलग्नक: यथोक्त

स्थान:

तारीख∶

जिला कलक्टर

## प्ररूप संख्या 3

[अधिनियम का नियम 6 एवं धारा-15(11) देखें]

# कलक्टर द्वारा नोटिस

संख्यांक							
यह सूचना दी जाती  है कि जिले में मंडल/तहसील/अन्य नाम पद्धति के ग्राम में स्थित और संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता है या तारीख राजपत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)							
के भाग 1 के पृष्ठ में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता की संभावना है। तदनुसार, भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के बारे में अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, उपर्युक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर लिखित रूप में दाखिल किया जाना अपेक्षित है।							
आक्षेप संबंधी कोई विवरण जो नियत रूप से नहीं बताता, तो वह संक्षेपत:	त तारीख के पश्चा	त प्राप्त होता है य	ा जो भेजने वाले वे	क भूमि में हित क <u>ी</u>	प्रकृति को स्पष्ट		
जांच कोबजे उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी औ	•						
क्र.सं. सर्वेक्षण सं.	कुल सीमा विस्तार (एकड़	_	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं	सीमाएं   उ.द.पू.प.	पेड़ों संरचनाओं		
	में)	में)	पता		आदि, यदि		
					को हो का, ब्यौरा		
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		

स्थान:

तारीख:

## प्ररूप 4

[नियम -10(1) देखें]

भू अर्जन के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अधीन विकासात्मक योजना का रूपविधान ।

क्रम सं०	दावेदार/कुटुम्ब के	स्थायी पता	हकदारी	टिप्पणियां
	मुखिया का नाम		(अधिनियम की धारा 31,41 और दूसरी अनुसूची देखें)	
			1. कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिए प्रत्येक कुटुम्ब को एक एकड़ तक भूमि दी जायेगा।	
			2. प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिए आवासीय इकाई, पेय जल सुविधाओं, शौचालय इत्यादि का उपबंध ।	
			3. प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार की वित्तीय सहायता एक बार दी जायेगी।	
			4. मनरेगा या/और कोई अन्य कार्य उपलब्ध कराने वाली	

सं. ....

सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों कों रोजगार दिया जायेगा।	
5. प्रभावित कुटुम्ब के युवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता का विकास।	
6. विस्थापित कुटुम्ब के लिए एक वर्ष के लिए प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में तीन हजार रु. के समतुल्य पंचाट की तारीख से मंजूर किया जायेगा।	
7. पशुशाला एव छोटी दुकान के लिए कम से कम पचीस हजार रूपये।	

- (क) देय भू-अधिकार, लेकिन निपटान नहीं किया गया, के ब्यौरे
- (ख) अनुसूचित जनजाति साथ ही साथ अनुसूचित जातियों को अन्यसंक्रामित भूमि पर उनके भू-अधिकार के प्रत्यास्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाकर करने की कार्यवाही का विवरण।
- (ग) जनजातीय समुदायों साथ ही साथ अनुसूचित जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर वन भू क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन उत्पाद संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रम।

## प्ररूप 5

[अधिनियम का नियम 11(1) और धारा-19(1) देखें]

## जिला कलक्टर द्वारा घोषणा

तारीख.....

	जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम मंडल मंडलजिला में कुल एकड़ भूमि अपेक्षित है, अर्थात,					
इसलि	इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप का					
ए ब्यौरा निम्नलि		हेक्टेयर	है जो ग्राम	मंडल	जिला	में है, जिसका विस्तृत
क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार		हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं उ. द. पू. प.
	वृक्ष					संरचना
किस्म	संख्या				प्रकार	कुर्सी क्षेत्र

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की

गयी है। भूमि अ	<mark>भर्जन के कारण पुनर्</mark> व्यवस्थ	ापन के लिए संश	मावित कुटुम्ब <sup>्</sup>	की संख्या	है जिनके लिए	पुनर्व्यवस्थापन
के क्षेत्र चिंहित	किए गए हैं जिसका संक्षि	प्त विवरण निम्	नलिखित है:-			
TTI	ਧੰਤਕ	जिला	क्षेत्र	(ਸ਼ੁਕਵ ਸੇਂ\⊣		

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी विशिष्ट भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं ...... के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न हैं।

संलग्नक: यथोक्त

जिला कलक्टर

## प्ररूप 6

(अधिनियम का नियम 12 और धारा-23 और 30 देखें)

# भू-अर्जन पंचाट

# भू-अर्जन वाद संख्या:

परियोजना का नाम
घोषणा की संख्या और तारीख जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया जाना है
भूमि की अवस्थिति और हेक्टेयर में उसका विस्तार, सर्वेक्षण मानचित्र में क्षेत्र प्लाटों की संख्या, मील योजना, यदि कोई हो, की संख्या सहित ग्राम जिसमें भूमि अवस्थित है।
भूमि का विवरण अर्थात क्या परती भूमि, खेती की, वास, इत्यादि है। यदि भूमि खेती की है तो कैसे खेती की है? सिंचाई का स्रोत
भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम और उनकी अपनी-अपनी हितबद्धता की प्रकृति
भूमि के लिए स्वीकृत रकम, वृक्ष रहित, भवन रहित इत्यादि, यदि कोई हो।
भूमि में पट्टेदारी के हित में ऐसी स्वीकृत रकम में से प्रतिकर के रूप में देय रकम
परिकलन के आधार
वृक्ष, आवास या कोई भी अन्य अचल सम्पत्ति के लिए स्वीकृत रकम
फसलों के लिए स्वीकृत रकम
धारा 30(3) के अधीन बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर

2013 के अधिनियम 30 की धारा 28 के अधीन नुकसानी								
धारा 30(1) के अधीन मुआवजा								
2013 के अधिनियम 30 की धारा 23 एवं 30 के अधीन पंचाट								
सरकारी राजस्व या संदत्त पूंजीगत मूल्य के उपशमन का विवरण जिस तारीख से उपशमन प्रभावी होता हो ।								
प्रतिकर की रकम का प्रभाजन क्र.सं दावेदारों प्रत्येक को देय हैंक खाता टिप्पणियां के नाम रकम सं.								
(क्षेत्र हेक्टेयर में)								
2013 के अधिनियम 30 की 38(1) और धारा 40(1) के अधीन भूमि को जिस तारीख को कब्जे में लिया गया								

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीख: हस्ताक्षर

# प्ररूप 7

[नियम 13(1) और अधिनियम की द्वितीय अनुसूची देखें]

# पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट

# भू-अर्जन वाद संख्या:

1	परियोजना का न	परियोजना का नाम							
2	घोषणा सं. और	तारीख ि	जेसके अधीन	भूमि का अर्जन किया जाना है					
3	भूमि की अवस्थिति और विस्तार - एकड़ में, सर्वेक्षण मानचित्र पर क्षेत्र खंडों की संख्या, वह गांव जहां मील योजना के साथ, यदि कोई हो,								
4	भवन इकाईयों का विवरण, परिवहन खर्च, आवास भत्ता, वार्षिकी, रोजगार, जीवन निर्वाह अनुदान, पशुशाला, छोटी-मोटी दुकान, एकमुश्त पुनर्वासन भत्ता इत्यादि।								
5	भूमि में हितबद्ध	भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अपने-अपने दावों की प्रकृति।							
6	प्रतिकर की रकम का प्रभाजन क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्र.सं.	दावेदारों/ प्रभावित कुटुम्बों के नाम	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की हकदारियां	बैंक खाता संख्या	प्रत्येक को देय रकम	गैर वित्तीय हकदारी	टिप्पणी	
				(i) आबंटित किए जाने वाले आवास					

		(ii) :	आवंटित की	जाने वार्ल	ो भूमि				
		(iii)	मत्स्य पाल	न अधिकार	:				
		(iv)	वार्षिकी						
		(v)	रोजगार,						
		,	परिवहन भत्ता	लागत,	आवास				
		(vi)	वार्षिक						
		(vii)	रोजगार						
		(viii	) गुजारा भ	त्ता अनुदान	т				
		(ix)	पशुशाल दुकान	गा, छोर्ट	ो-मोटी				
		(x)	एकमुश्त ए	गुनर्वासन भ	त्ता				
		(xi)	एकमुश्त ए	गुनर्वासन भ	त्ता				
7	जिस तारीख को आर एण्ड आर हकदारियां प्रभावित कुटुम्ब को दी गयी ।								
8	परिकलन के आधार								
9	वृक्ष, आवास या किसी भी	अन्य अचल सम्पत्ति	ा के लिए स	त्रीकृत रकम	ГΙ				
10	फसलों के लिए स्वीकृत रव	रुम ।							
11	धारा 30(3) के अधीन बा	- जार मूल्य पर अतिर्ा	रेक्त प्रतिक	र					
12	2013 के अधिनियम 30 <sup>व</sup>	की धारा 28 के अर्ध	ोन नुकसान	1					
13	धारा 30(1) के अधीन मु	भावजा							
14	2013 के अधिनियम 30 व	2013 के अधिनियम 30 की धारा 23 एवं 30 के अधीन पंचाट							
15	सरकारी राजस्व या पूंजी	—————————————————————————————————————	उपशमन क	ा विवरण वि	जेस तारीख से	उपशमन प्र	 ग्भावी	होता हो	.
	प्रतिकर की रकम का प्रभा	जन	क्र.सं	दावेदारों के नाम	प्रत्येक को देय रकम	बैंक ख सं.	ाता	अभ्युक्ति	यां
	(क्षेत्र हेक्टेयर में)					Π.			
	2013 के अधिनियम 30 व	की 38(1) एवं धारा -	40(1) के	अधीन भूमि -	म को जिस तारी	ख को कब्ब	ने में ि	लेया गय	T

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीख: हस्ताक्षर

# प्ररूप - 8 (अधिनियिम की तृतीय अनुसूची -30/2013 और नियम 13(3) के अधीन)

भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन आधारभूत संरचनात्मक साधन-सुविधाओं के उपबंध का प्ररूप ।

क्र.सं.	घटक	आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा
1	सड़क	
2	जल निकास	
3	पेयजल	
4	पशुओं के लिए पेयजल	
5	चारागाह के लिए भूमि	
6	उचित मूल्य की दुकान	
7	पंचायत घर	
8	डाकघर	
9	खाद भंडार	
10	सिंचाई सुविधाएं	
11	परिवहन सुविधाएं	
12	कब्रगाह या शमशान घाट	
13	शौच घर	
14	बिजली कनेक्शन	
15	पोषण सेवाएं	
16	स्कूल	
17	उप स्वास्थ्य केन्द्र	
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
19	क्रीड़ा स्थल	

20	सामुदायिक भवन	
21	पूजा स्थल	
22	जनजातीय संस्थाओं के लिए पृथक भूमि	
23	इमारती वन लकड़ल उपज	
24	सुरक्षा व्यवस्थाएं	
25	पशु चिकित्सा सेवाएं	
26	कोई अन्य बुनियादी सुविधा	

# MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2015

- G.S.R. 547(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (o), (p), (q), (r), (s), (t) and (u) of sub-section (2) of Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) is hereby published, as required by section 112 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification as are made available to the public;
- 2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified shall be considered by the Central Government;
- 3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Land Reforms), Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, "G" Wing, NBO Building Nirman Bhawan, New Delhi- 110 011.

### **CHAPTER - I**

## General

- 1. Short title, applicability and commencement.—(1) These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015.
- (2) They shall be applicable in cases where the Central Government is the appropriate government as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the Act).
- (3) They shall come into force from the date of their final publication in the official Gazette.
- 2. **Definitions** In these rules, unless the content otherwise requires,-
- (a) "Administrator" means an officer appointed by the Central Government or the Union territory for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families under sub-section (1) of Section 43 of the Act;
- **(b)** "Authority" means the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority established under section 51 of the Act;

- (c) "Commissioner" means the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement appointed by the Central Government or the Union territory under sub-section (1) of Section 44 of the Act;
- (d) "competent Authority" is the Revenue Department of the State or Union territory;
- (e) "District Collector" means the Collector of the district and includes additional collector and any other officer designated by the Central Government for the area notified under provision of the clause (e) of section 3 of the Act;
- **(f)** "experts" as provided in sub-section (2) of section 7 of the Act;
- (g) "land bank" means the land bank as defined in Section 101 of the Act;"
- (h) "Registrar" means the Registrar as provided in Section 55 of the Act;
- (i) "social audit" means the social audit as provided in section 44 and section 45 of the Act.

#### **CHAPTER II**

## **Request for land Acquisition**

- **3. Request for land Acquisition.-** (1) Any requiring body or its representative duly authorised by it for whom land is to be acquired shall file the request to the concerned District Collector and to the Commissioner, Rehabilitation and Resettlement in **Form-I** together with the following documents.
  - (i) Detailed project Report;
  - (ii) Sanction letter of project;
  - (iii) Three copies of Record of Right and revenue map of the affected areas;
  - (iv) Information about the classification of land i.e. irrigated multi-crop or single crop or wasteland etc;
  - (v) Any other information required by district collector.
- (2) In case of acquisition for Government, the request shall be filed by concerned Secretary of the Department or a person authorised by him.
- (3) If the request is made by anybody other than Government, the team of officers constituted by the Collector shall report on expenditure to be made from section 4 to 10 of the Act.
- **4. Action by District Collector on receiving request.** (1) (a) The District Collector, upon receiving request, shall constitute a committee of officers consisting of officers from Revenue Department, Agriculture Department, Forest Department, Water Resources Department, Building Department etc. to make a field visit along with the representatives of the requiring body to make a preliminary enquiry about the availability of waste or arid land; the correctness of the particulars furnished and acquiring bare minimum land required for the project, whether the request is inconsistent with the provisions of the Act, and submit a report to the District Collector.
- (b) The Committee of officers referred in clause (a) shall amongst other matters, include all the following in its report, namely:—
- (i) assessment as to whether the proposed acquisition serves public purpose;
- (ii) whether the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum extent needed for the project;
- (iii) whether land acquisition at an alternate place has been considered and found not feasible;
- (iv) there is no unutilised land which has been previously acquired in the area;
- (v) the land, if any, acquired earlier and remained unutilised, is used for such public purpose and make recommendations in respect thereof.
- (2) (a) If the District Collector, based on the report of the committee referred in sub-rule (1), other information available with him and instructions issued by the Central Government in this regard, is satisfied that the request is consistent with the provisions of the Act; he shall make a preliminary estimate of the cost of the acquisition as defined in clause (a) of section 3 of the Act.

- (b) The administrative cost under item A of sub-clause (iv) of clause (i) of section 3 of the Act, shall be at the rate of 10% of the cost of compensation as provided in item (i) of section 3 (i) of the Act subject to a maximum of Rs. 5 crore.
- (c) The District Collector will inform the Requiring Body to deposit the estimated cost of acquisition in his office within a period as may be specified by him and the Requiring Body shall deposit the same within the period specified by the District Collector without which process under the Act shall not commence.
- (3) The Requiring Body shall deposit the balance cost of acquisition after final estimation is prepared by the Collector and if any excess amount is awarded by the Authority or a Competent Court, the same will be deposited as and when so required.

## **CHAPTER III**

## Preliminary Notification and Rehabilitation and Resettlement Scheme

- **5. Publication of Preliminary Notification.-** (1) After conclusion of the social impact assessment study and consent of the affected persons or Gram Sabha, as the case may be, when it appears to the appropriate Government that land is required or likely to be required in any area for any public purpose, a preliminary notification shall be issued in **FORM II.**
- (2) The preliminary notification shall be published in the manner provided in section 11 of the Act.
- (3) A copy of the preliminary notification shall be affixed at conspicuous places in the affected areas and shall also be informed to the public by beat of drum and shall be published in official Gazette.
- (4) After issuing the preliminary notification, the Collector shall ensure completion of the exercise of updating land records within a period of two months as specified here under:-
  - (a) delete the entries of dead persons;
  - (b) enter the names of the legal heirs of the deceased persons;
  - (c) take effect of the registered transactions of the rights in land such as sale, gift, partition, etc.
  - (d) make all entries of the mortgage in the land records;
  - (e) delete the entries of mortgage in case the lending agency issues letter towards full payment of loans taken through registered reconveyance of mortgaged property deeds;
  - (f) make necessary entries in respect of all prevalent forest laws;
  - (g) make necessary entries in case of the Government land;
  - (h) make necessary entries in respect of assets on the land like trees, wells; etc.
  - (i) make necessary entries of share croppers in the land;
  - (j) make necessary entries of crops grown or sown and the area of such crops; and
  - (k) any other entries or up-dating in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement.
- **6 Preliminary survey of land proposed for acquisition.-** The officer authorised by the District Collector to conduct preliminary survey shall have all the powers as provided under section 12 of the Act.
- **7. Disposal of objections.** (1) The Collector shall issue a notice in **Form-III** and after hearing all objections and making enquiry as provided under sub-section (2) of Section 15 shall submit a report along with his recommendations on the objections to the Secretary to the Revenue Department of State Government or Union territory Administration for decision and the report of the Collector shall, inter-allia, include the following:-
  - (a) assessment as to whether the proposed acquisition serves public purpose;
  - (b) whether the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum extent needed for the project;
  - (c) whether land acquisition at an alternate place has been considered and found not feasible;
  - (d) there is no unutilised land which has been previously acquired in the area;

- (e) the land, if any, acquired earlier and remained unutilised, is used for such public purpose and make recommendations in respect thereof.
- (2) The decision of the Secretary to the Revenue Department of the State Government or Union territory Administration on the objections made under sub-section (2) of section 15 of the Act shall be final.

## 8. Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme and Public Hearing.-

- (1) On publication of the preliminary notification under sub-section(1) of Section 11 of the Act, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of two months from the date of publication of such preliminary notification.
- (2) In the survey conducted and the census of the affected families so undertaken by the Administrator, wherever applicable under rule 3 or section 10A of the Act, he shall collect the data based on the Social Impact Assessment report as well as collect the data from the secondary sources such as Panchayat and Government records and verify that data by door to door visit of the affected families and by site visits in case of infrastructure projects in the affected area.
- (3) The draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by the Administrator shall, in addition to the particulars mentioned in the sub-section (2) of Section 16, contain the following:-
  - (i) list of likely to be displaced families;
  - (ii) list of infrastructure in the affected area;
  - (iii) list of land holdings in the affected area;
  - (iv) list of tress, buildings, other immoveble property or assets attached to the land or building which are to be acquired;
  - (v) list of trades or business in the affected area;
  - (vi) list of landless people in the affected area;
  - (vii) list of persons belonging to disadvantageous groups like persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, handicapped or physically challenged persons in the affected area;
  - (viii) list of landless agricultural labourers in the affected area;
  - (ix) list of unemployed youth in the affected area.
- (4) The Administrator shall prepare comprehensive and detailed draft Rehabilitation and Resettlement Scheme and give wide publicity in the affected area and ensure that the affected persons are informed through publication in the following manner, namely:—
  - (a) in the Official Gazette;
  - (b) in two daily newspapers being circulated in the locality, of such area of which one shall be in the regional language;
  - (c) in the local language in the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil;
  - (d) uploaded on the website of the appropriate Government;
  - (e) in the affected areas.
- (5) The Administrator or an officer authorised by him shall conduct a public hearing in the affected areas on such date, time and venue as decided by giving advance notice of three weeks and the provisions of rule 8 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent rules, 2014 dated 08-08-2014 relating to the public hearing shall, *mutatis mutandis*, apply to the public hearing in this case also.
- **9. Publication of the Approved Rehabilitation and Resettlement Scheme.**—The Commissioner of Rehabilitation and Resettlement shall publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected area by affixing in conspicuous places in addition to making it public by other means provided in section 18 of the Act and the Commissioner shall also inform the National Monitoring Committee constituted under section 48 of the Act about the publication of the approved Rehabilitation and Resettlement scheme.

- **10. Development Plan for Scheduled Castes or Scheduled Tribes Families.— (1)** The Development Plan to be prepared in cases of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes families under section 41 of the Act shall be as per **FORM IV.** 
  - (2) The resettlement areas predominantly inhabited by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall get land free of cost for community and social gatherings as decided by the Collector from time to time.

#### **CHAPTER IV**

## **Declaration, Award and Compensation**

11. Publication of Declaration for Acquisition.— (1) Upon receipt of a report of the Collector as provided under sub-section (2) of section 15 and after examination and taking a decision on the objections, a declaration for acquisition of the land under sub-section (1) of section 19 of the Act along with the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme shall be made by the Secretary to the Revenue Department of the State Government or Union territory Administration in **FORM V**:

Provided that no such declaration shall be made unless the requiring body has deposited an amount in full towards the cost of acquisition of the land.

- (2) The declaration referred in sub-rule (1) shall be published in the manner prescribed under sub-section
- (4) of section 19 and also in the affected areas by way of affixing a copy of the declaration in **local** language at conspicuous places in the Panchayat, Mandal, area of Local Body, as the case may be, under which the affected area falls.
- **12. Land Acquisition Award.** The Collector after enquiry into and disposal of the objections, if any, raised by the interested persons in pursuance of the public notice published and given under sub-section (1) of section 21, shall make land acquisition Award under section 23 of the Act as per **FORM VI.**
- **13. Rehabilitation and Resettlement Award.- (1)** The Collector shall also make Rehabilitation and Resettlement Award for each affected family in accordance with the section 31 of the Act in **FORM VII** and hand over familywise Awards to each affected family.
  - (2) The recovery of any rehabilitation and resettlement benefit availed of by making a false claim or through fraudulent means, on refusal to refund shall be recovered as an arrear of land revenue invoking the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890).
  - (3) The provision of infrastructural facilities and basic minimum amenities specified in the Third Schedule of the Act in **Form VIII.**
- **14.** Compensation (1) The compensation shall be calculated as per the provisions laid down under section 26 to section 30 read with the First Schedule of the Act and paid.
  - (2) The one-time grant to artisans, small traders and others under item 8 of Second schedule of Act shall be minimum rupees twenty five thousands.
  - (3) The manner in which fishing rights shall be allowed to affected families in cases of irrigation or hydel projects under item 9 of Second Schedule of Act shall be notified by the Fisheries Department in consultation with Irrigation department and Revenue Department or any other Government Department as required.
  - (4) The payment of compensation shall be made expeditiously through account payee cheques or electronic mail transfer.
  - (5) Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made in an award under sub-section (1) of section 33 and such person refuses to refund the said excess amount paid to him, then such amount shall be recovered as an arrear of land revenue invoking the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890) and such proceedings shall be initiated within three years from the date on which the excess amount is found to have been paid.

## 15. Limits on extent of land under sub-section (3) section 2 read with section 46 of the Act.—

The limits on extent of land beyond which provisions of Rehabilitation and Resettlement under the Act apply, in cases of purchase by a person other than specified person through private negotiation shall be fifty (50) acres in urban areas an two hundred (200) acres in rural areas.

- **16. Meaning of landless:** The term "landless" shall have the same meaning as defined by the respective State Government or Union territory administration, as the case may be.
- **17. Multiplication Factor in rural areas:** In case of rural areas, the factor by which the market value is to be multiplied as per column no. 3 of serial no. 2 of the First Schedule read with sub-section (2) section 30 of the Act shall be **2.00 (two)**.

## 18. Power to issue notification under section 10A of the Act. —

The Secretary to the Revenue Department of Union territory Administration or Joint Secretary of the concerned Department of the Central Government shall be empowered to issue notification under section 10A of the Act.

- 19. Net sown area that can be acquired in a district. —The area of agricultural land in aggregate acquired for all projects in a district shall in no case, exceed the limit, as decided by the Competent Authority.
- **20. Irrigated multi-cropped land that can be acquired in a district.** —The area of irrigated multi-cropped land, and aggregate acquired for all projects in a district, shall in no case, exceed the limit, as decided by the Competent Authority.

## **CHAPTER V**

#### Administrator and Rehabilitation and Resettlement Committee and National

## **Monitoring Committee**

- **21. Power, duties and responsibilities of the Administrator.-** The Administrator shall exercise the powers and perform the duties and have the responsibilities as follows:-
  - (a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families in the manner and within time as provided under these rules and the Act;
  - (b) to prepare a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme;
  - (c) to publish the draft scheme by the mode provided under these rules;
  - (d) to make the draft scheme available to the concerned persons and authorities;
  - (e) to organise and conduct public hearings on the draft scheme;
  - (f) to provide an opportunity to the Requiring Body to make suggestions and comments on the draft scheme;
  - (g) to submit the draft scheme to the Collector;
  - (h) to publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected area;
  - (i) to help and assist the Collector in preparing the Rehabilitation and Resettlement award;
  - (j) to monitor and supervise the implementation of the Rehabilitation and Rehabilitation award;
  - (k) to assist in post-implementation audit of Rehabilitation and Resettlement, and
  - (1) any other work required to be done for Rehabilitation and Resettlement.
- **22. Rehabilitation and Resettlement Committee at Project Level.** —(1) The Principal Secretary of the Revenue Department to the State Government or Union territory Administration shall under sub-section (1) and (2) section 45of the Act constitute a Rehabilitation and Resettlement Committee at project level under the chairpersonship of the Collector to monitor and review the progress and implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme and to carry out post implementation social audits in consultation with the Gram Sabha in concerned Gram Panchayat in the rural area and area of urban local body, as the case may be.

- (2) The Rehabilitation and Resettlement Committee shall include, apart from officers of the appropriate Government, the following members, namely: —
- (a) a representative of women residing in the affected area;
- (b) a representative each of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes residing in the affected area;
- (c) a representative of a voluntary organisation working in the area;
- (d) a representative of a nationalised bank;
- (e) the Land Acquisition Officer of the project;
- (f) the Chairpersons of the panchayats or municipalities located in the affected area or their nominees;
- (g) the Chairperson of the District Planning Committee or his nominee;
- (h) the Member of Parliament and Member of the Legislative Assembly of the concerned area or their nominees;
- (i) a representative of the Requiring Body; and
- (j) Administrator for Rehabilitation and Resettlement as the Member Convenor.
- (3) (a) The Committee shall have its first meeting when a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared by the Administrator.
- (b) The Committee shall discuss the scheme and make suggestions and recommendations and thereafter, the Committee shall meet and review and monitor the progress of Rehabilitation and Resettlement once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed. For the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months.
- (c) The Committee may visit the affected area and discuss with the affected families if it so desires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.
- (4) The non-official members of the Committee, if any, shall get travelling and daily allowance at the rate admissible to the Class I Officers of the Central Government.

#### 23. Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority.

- (1) The appropriate government shall establish a Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority under chapter VIII of the Act.
- (2) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Presiding Officer of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority shall be the same as applicable to a District Judge.
- (3) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Registrar of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority shall be the same as applicable to the rank of Deputy Secretary in Central Government.
- (4) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the officers and employees of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority shall be the same as applicable to the equivalent officers of the Central Government.
- **24. Powers of Authority and procedure.** The Authority shall, for the purposes of its functions under this Act, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, (5 of 1908) in addition to the matters listed under sub- section (1) of Section 60 of the Act, in respect of any other matter notified for the purpose by Secretary to the Revenue Department of the State Government or of the Union Territory Administration.
- 25. Procedure of National Monitoring Committee for Rehabilitation and Resettlement and Allowances of the experts associated with it.-(1) The National Monitoring Committee constituted under Section 48 shall review and monitor the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Schemes for the projects within two months of the publication of the said approved Schemes by the Commissioner of the Rehabilitation and Resettlement under section 18 of the Act and thereafter, the meetings of the Committee

shall be held once in three months to review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes.

(2) The non-official experts associated with the National Monitoring Committee shall be paid travelling and daily allowance at the rate admissible to the Class-I rank Officers of the Central Government for journeys outside headquarter.

#### **CHAPTER VI**

#### **MISCELLENEOUS**

- 26. Return of Land to the Original Land Owner. (1) Where any land acquired under the Act remains unutilised for a period specified for setting up of any project or a period of five years whichever is later, from the date of taking over the possession by the requiring body, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing necessary order in writing by the District Collector in this behalf for this purpose.
- (2) After passing the written order as above, the District Collector shall take the possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank as defined in section 104 of the Act.
- (3) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to the Collector, Collector shall be competent to take the help of Executive Magistrate and police force to take the possession by after giving prior notice to the Requiring Body.

[F. No. 13011/01/2015-LRD]

HUKUM SINGH MEENA, Jt. Secy.

#### FORM-I

(See rule-3)

Request for Land Acquisition
From:
Name
and/or Designation of the Requiring Body
To:
1. The District Collector
District
2. Commissioner, R&R,
It is requested to acquireacre(s) of land for
whichproject/purpose and the details are furnished in
Annexure (Appendix) I, II & III along with three copies of Combined Sketch (to scale )showing the lands to be acquired.
The gestation period of the project will beyears and months (applicable only if gestation
period is more than 5 years.)
Requisite cost of acquisition including cost of social impact assessment study (SIA) is available and will be
deposited in your office, as provided under provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 as and when required by you. It is certified that
the land to be acquired was demarcated on the field and all further necessary information and assistance will
be provided on the date/time appointed/stipulated by you.

Yours faithfully

Requiring Body

## **Annexure -I**

## Name of the project:-

- (1) Name of the village-
- (2) Name of the Mandal-
- (3) Name of the Municipality/Municipal Corporation-
- (4) Name of the District-
- (5) Survey Nos. to be acquired-
- (6) Total area under request (in hectare /Sq.metres)
- (7) Boundaries of the area to be acquired-

East-

West-

North-

South-

- (8) Area of the agricultural and irrigated multi-cropped land
- (9) Reasons for inclusion of agricultural and irrigated multi-cropped land

\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- (10) Details of buildings and other structures, tanks, wells, trees, etc.,
  - (11) Reasons for the inclusion of religious building, graveyard or tomb etc. for acquisition, if any.

**Requiring Body** 

## **Annexure -II**

## Name of the project:-

- 1. Department or Government or Company, Local Authority, Institution:
- 2. Official designation of the requiring body:-
- 3. Purpose of Acquisition (in detail) :-
- 4. Whether the request is filed u/s 2(1) of the Act by the Government or Department for its own use hold and control:-
- 5. Whether the request is filed u/s 2(1)(a) to 2(1) (f) of the Act:-
- 6. Whether the request is filed u/s 2(2) (a) or (b) of the Act:
- 7. How many families are affected as described u/s 3(c)(i) to (vi) of the Act:-
- 8. Whether the request is filed u/s 40 of the Act:-
- 9. If so, on what ground?
- 10. Has the land for the project been partially purchased from the owners by private negotiation?
- 11. If so, on what date and on what terms (please state the terms of negotiation in short and attach the copy of it)
- 12. Date of issue of administrative approval for the project (copy to be attached) in case of Government or department or local authority.
- 13. Reasons for delay in filing request, if request is filed after 6 weeks from the date of administrative approval of the project in case of Government or department or local authority.
- 14. By what time possession of the land is required.

## **Annexure -III**

# Certificate to be furnished along with the request for acquisition of land by the requiring authorities

illage of	hectares via under acquis	Type of Title	1	Area under Acquisition (in acre)	· Name &	N.	S.	E.	W.
illage of ollowing, is	hectares via under acquis	Type of	Type of	Area under	Name & Address of person				W.
illage of ollowing, is	hectares via under acquis	Type of	Type of	Area under	Name & Address of person				
illage of ollowing, is	_hectares vi	sition:	1			1_			
illage of	_hectares vi								
			hec	tare of stand	lard measurement	, whose	e detai	il descr	iption i
	ilies. Therefor	re it is not	ified that fo	r the above	said project in the				
ien dispide			as Administ	rator for the	purpose of rehal	bilitatio	n and	resettle	ment of
	(no.) f		e likely to b	e displaced d	ue to the land acq	uisition	. The 1	eason r	necessita
arpose, arried out onstituted b	namely, by SIA Ut	nit and a	report sul laid down u	omitted / pr	Social Impeliminary investign Fhe summary of	oact A ation w	ssessr as co	nent S nducted	Study by a
	Vil	llage		Mandal	of acr		Dis	strict fo	or pu
0					Date	ed		_	
			Preli	minary Noti	fication				
			[See ru	le-4 and Sect	on-11(1)]				
				FORM II				Requ	ning D
ehabilitatio		tlement A			t in case of decoreme Court as an			d to do	
	e available to	wards cos	t of acquisit	ion.	and n				
	nated cost of								
tached).  2) The estir		0	, dated		for acquis	ition un	der the	e A( Co	py of le

This notification is made under the provisions of Section-11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30/2013), to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the District Collector and ----- on any working day during the working hours.

[भाग II – खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

	l, take levels of	any land, dig	or bore into th	e sub-soil & de	all other acts	to enter upon required for the	
	se, etc., or crea	ate any encumb	orances on suc			ansaction of land lication of such	
Objection the date of public						(sixty days) from ct Collector.	
	val of the Parlia	ament, it has been	en decided not	to carry out the		ion 40(2) and the assessment Study,	
Encl : As above							
Place:							
Date:					D	istrict Collector	
Form No. III							
		[See Rule 6	and Section 15(	2) of the Act]			
	NOTICE BY COLLECTOR						
No				Dt			
ofsection-11(1) o Resettlement A part I of the (a accordingly req	f the Right to I ct, 2013 (30 of name of State/ uired to lodge t	Mandal/Tehsil/ois needed or i Fair Compensat 2013) publishe UT) Gazette, d heir objections	ther nomenclates likely to be not ion and Transped by the Districtatedbefore	ure eeded in accord arency in Land et Collector at per All per	ance with the n Acquisition, R pagesons interested	lage of in the District otification under ehabilitation and of in the land are	
	f publication of	the above notif	ication a statem	ent in writing o		sixty (60) days	
Any objection s the senders inte						ain the nature of	
Objections rece w Advocate and to	hen		the objectors	will be at libe	erty to appear	atin person or by	
			<b>SCHEDULE</b>				
Sl.	Survey	Total	Extent under	Name &	Boundaries	Details of	
No.	No.	Extent	Acquisition	address of	N.S.E.W	Trees,	
		A.Cs.	A.Cs.	the person interested		Structures etc., if any	

Place: Collector

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(2)

Date:

(1)

## **FORM IV**

[See rule-10 (1)]

# Format for Development Plan under R&R scheme for SC/ST families

## displaced due to land acquisition

S. No.	Name of the Claimant / family head	Permanent Address	Entitlements (See section 31, 41 and Second Schedule of the Act)	Remarks
			Land up to one acre for agricultural, horticultural, cattle grazing field per family shall be provided.	
			2. Provision of dwelling housing unit per family, Drinking Water facility toilette etc.,	
			3. One time financial assistance of Rs. One lakh fifty thousand per family shall be given.	
			4. For landless laborers employment shall be provided under MNREGA or/and any other job providing scheme of the government,	
			5. Skill development through different training programs for the youth of affected family.	
			6. Subsistence grant for displaced family allowance equivalent to <b>Rs. Three thousand</b> per month for a year from the date of award.	
			7. For cattle shed and petty shop minimum Rupees twenty five thousand.	

- (a) Details of Land rights due, but not settled:
- (b) Details of actions for restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive.
- (c) Programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce resources on nonforest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes.

## FORM V

[See rule-11(1) and Section-19(1) of the Act]

# **Declaration by District Collector**

	Declaration by D	istrict Conector		
No		Dated	·	
Whereas it appears to VillageMandal				-
	is made that a piece of lar			
standard measurement under	acquisition for the above	ve said project in the	e Village	Mandal
District	whose	detailed description i	s as following:	

Sl. No.	Survey No.	Type Title	of	Type Land	of	Acquisition	Address	& of		Bour	ndaries	
						(in(hectare)	person interested		N.	S.	E.	W.

		Trees
Variety	Number	

	Structures
Type	Plinth area

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to Land Acquisition is \_\_\_\_\_ for whom Resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village\_\_\_\_\_ Mandal \_\_\_\_\_ District\_\_\_\_ Area \_\_\_\_ (in acres).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer & \_\_\_\_\_on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above

**District Collector** 

#### FORM VI

[See rule-12 and section 23 & 30 of the Act]

## **Land Acquisition Award**

Land Acquisition Case No.

Name of the Project -
Number and date of declaration under which the land is to be acquired
Situation and extent of the land in hectares, the number of field plots on the survey map, the village in which situated with the number of mile plan if any.
Description of the land, i.e., whether fallow, cultivated, homestead, etc. If cultivated, how cultivated? Source of irrigation
Names of persons interested in the land and the nature of their respective interests.
Amount allowed for the land itself, without trees, buildings etc., if any
Amount allowed out of such sum as compensation for the tenants interest in the land.
Basis of calculation:
Amount allowed for trees, houses or any other immovable property
Amount allowed for crops.
Additional compensation on the market value under section 30(3)
Damages under section 28 of Act 30 of 2013

Solatium u/s 30(1)							
Award under section 23 and 30 of Act, 30 of 2013							
Particulars of abatement of Government Revenue, or of the capitalized value paid, the date from which the abatement takes effect.							
Apportionment of the amount of compensation.	Serial No.	Name of claimants	Amount payable to each	Bank A/c No.	Remarks		
Area (in hectares)							
Date on which possession was taken u/s. 38(1) & 40(1) of Act of 30/2013.							

If u/section 40(1) the number and date of the order of government giving authority to do so.

Date: Signature

## FORM VII

[See rule-13 (1) and Second Schedule of the Act]

## **Award for Rehabilitation and Resettlement**

Land Acquisition Case No.

1.	Name of the Project -							
2.	Number and date of declaration under which the land is to be acquired							
3.		Situation and extent of the land in acres, the number of field plots on the survey map, the village in which situated with the number of mile plan if any.						
4.				sportation cost, housing allowop, one time resettlement al			employmer	nt
5.	Name/Names of rehabilitation and			the land and the nature of the	eir respe	ective cl	aim for	
6.	Apportionment of the amount of compensation Area (in hectares)	SI. No.	Name of claimants/ affected family	R & R entitlements	Bank A/c. No.	Amount payable to each	Non monetary entitlements	Remarks
				(i) House to be allotted (ii) Land to be allotted (iii) Fishing rights (iv) Annuity (v) Employment transportation cost, Housing allowances, (vi) Annuity (vii) Employment (viii) Subsistence grant (ix) Cattle shed, Petty shop, (x) One time resettlement allowances				

					(xi) One time resettlement allowances				
	_								
7.	Date	on which	n R & I	R entitleme	ents given to the affecte	ed family.			
8.	Basi	s of calcul	lation:						
9.	Ame	ount allow	ed for	trees, hous	ses or any other immov	able things	•		
10.	Amo	ount allow	ed for	crops.					
11.	Add	Additional compensation on the market value under section 30(3)							
12.	Dan	Damages under section 28 of Act 30 of 2013							
13.	Sola	Solatium u/s 30(1)							
14.	Awa	Award under section 23 and 30 of Act 30 of 2013							
15.		Particulars of abatement of Government Revenue, or of the capitalized value paid, the date from which the abatement takes effect.							
	the	ortionme amount of pensation	f	Serial No.	Name of claimants	Amount payable to each	Bank A/c. No.	Remarks	
	Area	a (in hecta	res)						
16.	Date	on which	Date on which possession was taken u/section 38(1) & 40(1) of Act of 30/2013.						

If u/section 40(1), the number and date of the order of government giving authority to do so.

## Date:

## **Signature**

## FORM VIII

[Under third schedule of Act-30/2013 and Rule 13(3)]

# Format for Provision of Infrastructural Amenities under Rehabilitation and Resettlement scheme for families displaced due to Land Acquisition

S.No.	Components	Details of infrastructure amenities
1.	Roads	
2.	Drainage	
3.	Drinking water	
4.	Drinking water for cattle	
5.	Grazing land	
6.	Fair Price Shops	
7.	Panchayat buildings	
8.	Post Offices	
9.	Fertilizer storage	
10.	Irrigation facilities	
11.	Transport facilities	
12.	Burial or cremation ground	
13.	Toilet points	

14.	Electric connections
15.	Nutritional services
16.	Schools
17.	Sub-health centre
18.	Primary Health Centre
19.	Play ground
20.	Community centre
21.	Places of worship
22.	Separate land for tribal institutions
23.	Timber forest produce
24.	Security arrangements
25.	Veterinary services
26.	Any other infrastructure amenity